

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/अलेसे-III/निप लिंक नं. 5368/225

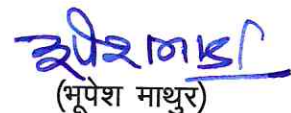
दिनांक :- 11.5.2022

कार्यालय आदेश

स्व. श्री पंकज आर गोयल (लिंक नं. 5368) कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी (ग्रामीण), जोधपुर के प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) एवं नियम 93 के अनुसार अर्द्ध वेतन अवकाश निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	समयावधि	असाधारण अवकाश (EOL)		अर्द्ध वैतनिक अवकाश
		चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर	बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र	
1	12.03.2021 से 19.03.2021	—	—	8 दिन (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर HPL)
2	20.03.2021 से 26.03.2021	7 दिन EOL	—	—
3	27.03.2021 से 31.03.2021	—	5 दिन EOL	—
4	01.04.2021 से 30.04.2021	—	30 दिन EOL	—
5	01.05.2021 से 31.05.2021	—	31 दिन EOL	—
6	01.06.2021 से 19.06.2021	—	19 दिन EOL	—
7	20.06.2021 से 07.07.2021	18 दिन EOL	—	—
8	08.07.2021 से 21.07.2021	—	14 दिन EOL	—
9	22.07.2021 से 04.08.2021	—	—	14 दिन (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर HPL)
10	05.08.2021 से 20.08.2021	16 दिन EOL	—	—
11	21.08.2021 से 28.08.2021	—	8 दिन EOL	—
12	29.08.2021 से 07.10.2021	40 दिन EOL	—	—
13	08.10.2021 से 31.10.2021	—	24 दिन EOL	—
14	01.11.2021 से 13.11.2021	—	13 दिन EOL	—
15	14.11.2021	—	—	—
	योग	81	144	22
	कुल योग	225 दिन EOL		22 दिन HPL

उक्त कुल 225 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) एवं कुल 22 दिवस के अर्द्ध वेतनिक अवकाश का इन्द्राज श्री स्व. पंकज आर गोयल की सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन

संयुक्त शासन सचिव

दिनांक :- 11.5.2022

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/अलेसे-III/निप लिंक नं. 10683/225

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. कोषाधिकारी (ग्रामीण), जोधपुर।
2. श्रीमती रितु गोयल पत्नी स्व. श्री पंकज आर गोयल, निवासी-ए-325, सरस्वती नगर, सेन्ट ऐन्स स्कूल के सामने, बासनी कृषि मण्डी, जोधपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक।
4. उपनिदेशक एसीपी को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
5. पदस्थापन सीट/निजी/रक्षित पत्रावली।



(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)